उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 7 अंक 16 16-31 अगस्त 2024 ₹ 20/-

अजमेर दरगाह से जुड़े छह दोषियों को छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा

- असम में निकाह और तलाक का पंजीकरण अब सरकार करेगी
- बीएलए द्वारा 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या
- इख्वानुल मुस्लिमीन द्वारा राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा
- प्रधानमंत्री के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान पर निशाना

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

अजमेर दरगाह से जुड़े छह दोषियों को सामूहिक बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा 04
असम में निकाह और तलाक का पंजीकरण अब सरकार करेगी 06
प्रधानमंत्री के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान पर निशाना 10
मध्य प्रदेश के मदरसों में फर्जी नामांकन की जांच का आदेश 13
मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जबर्दस्त फूट 14

विश्व

बीएलए द्वारा 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या 16
बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा 18
तालिबान ने दाढ़ी न रखने पर 281 सुरक्षाकर्मियों को नौकरी से निकाला 21
अतिवादी इस्लामी संगठन का प्रमुख जर्मनी से निष्कासित 22
शीर्ष चीनी जनरल निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित 24

पश्चिम एशिया

इख्वानुल मुस्लिमीन द्वारा राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा 25
इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु की रिपोर्ट सार्वजनिक 27
सऊदी अरब सुरक्षा विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार 28
गाजा में युद्धविराम वार्ता विफल 28
संयुक्त अरब अमीरात द्वारा तालिबान को मान्यता 29

सारांश

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पंजाबियों के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए अनेक संगठन मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया है। ऐसे संगठनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और यूनाइटेड बलूच आर्मी का नाम उल्लेखनीय है। हाल ही में इन संगठनों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर जबर्दस्त हमले किए हैं। इसके अतिरिक्त बलूच विद्रोहियों द्वारा विभिन्न चीनी परियोजनाओं और उसके विशेषज्ञों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। बलूचों का यह आरोप है कि पंजाबी और चीनी उनके क्षेत्र की खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं और स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसरों से वंचित कर रहे हैं।

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर बलूच विद्रोहियों के हमलों में भारी तेजी आई है। विद्रोहियों के साथ झड़प में लगभग 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। जबकि बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने मरने वालों की संख्या इससे दोगुनी बताई है। विद्रोहियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने में विफल होने के कारण सरकार ने बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल खालिक शेख को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने विद्रोहियों से प्रभावित क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान चलाने के लिए 60 अरब रुपये आवंटित किए हैं।

मुस्लिम जगत के सबसे खूंखार और पुराने इस्लामी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) ने मिस्र सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। इस संगठन ने मिस्र सरकार से यह अपील की है कि देश के विभिन्न जेलों में बंद उसके हजारों कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। गौरतलब है कि इस संगठन की स्थापना 1928 में हसन अल-बन्ना ने की थी। इसका लक्ष्य सच्चे इस्लाम पर आधारित शरिया शासन को मुस्लिम जगत में स्थापित करना था। इस संगठन के दबाव के कारण 1952 में मिस्र के तत्कालीन शासक फारूक को अपना देश छोड़कर विदेश में शरण लेनी पड़ी थी। इस संगठन पर अरब जगत के विभिन्न देशों में सैकड़ों विदेशी पर्यटकों की हत्या करने का भी आरोप है।

हाल ही में अजमेर की एक विशेष अदालत ने अजमेर के बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड का फैसला सुनाया है। अदालत ने छह आरोपियों को उम्रकैद और पांच-पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि इन आरोपियों का संबंध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम परिवारों से है। इनमें से अधिकांश आरोपी कांग्रेस और युवा कांग्रेस के भी पदाधिकारी रहे हैं। यह सेक्स कांड 1992 में हुआ था। मुस्लिम युवकों की एक टोली ने अजमेर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली सैकड़ों हिंदू छात्राओं को ब्लैकमेल करके उनके साथ बलात्कार किया। इस घृणित कांड का पर्दाफाश एक स्थानीय अखबार 'दैनिक नवज्योति' ने किया था।

असम सरकार ने एक कानून लाकर काजियों द्वारा निकाह और तलाक का पंजीकरण कराने की प्रथा पर रोक लगा दी है। अब राज्य में निकाह और तलाक का पंजीकरण सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विवाह की उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार मुसलमानों के धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है।

अजमेर दरगाह से जुड़े छह दोषियों को छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में उम्रकैद की सजा

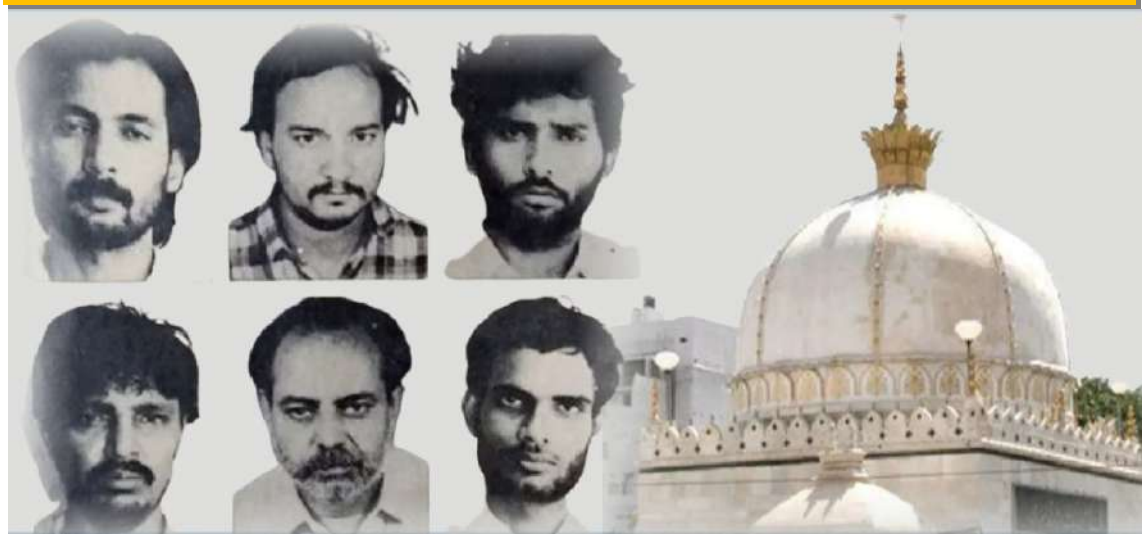

उर्दू टाइम्स (21 अगस्त) के अनुसार अजमेर की एक अदालत ने अजमेर की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़े खादिम परिवारों के छह लोगों को सैकड़ों हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार करने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन दोषियों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने जिन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है उनमें नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन शामिल हैं। यह मामला 1992 का है। इस मामले का फैसला 32 साल के बाद अब सुनाया गया है। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने अजमेर के आधुनिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली 250 से अधिक छात्राओं की नग्न तस्वीरें खींचकर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी दी और 100 से अधिक छात्राओं के साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद कुछ छात्राओं की तस्वीरें वायरल हो गईं। इस शर्मिंदगी के कारण कम-से-कम एक दर्जन छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। इस गिरोह के लोग अजमेर के प्रतिष्ठित अंग्रेजी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को ब्लैकमेल करके फार्म हाउस पर बुलाते थे और उनके साथ सामूहिक बलात्कार करते थे। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश एक हिंदी अखबार 'दैनिक नवज्योति' ने किया था। जिन छात्राओं का बलात्कार किया गया था उनकी उम्र 17-20 साल के बीच थी।

तासीर (21 अगस्त) के अनुसार 1992 के इस सेक्स कांड ने देशभर में भूचाल ला दिया था। इस सेक्स कांड की जांच के बाद अजमेर की गंज पुलिस ने नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस केस में सरकार की ओर से 104 गवाह और 245 दस्तावेज पेश किए गए थे। बाद में इस सिलसिले में नौ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से नौ आरोपियों को अजमेर की सत्र अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। वहीं, एक अन्य आरोपी अलमास महाराज अभी तक फरार है। एक आरोपी नसीम जमानत पर रिहा

होने के बाद फरार हो गया था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। सलीम चिश्ती को गुप्तचर विभाग की सूचना पर पुलिस ने दरगाह इलाके से गिरफ्तार किया था। जबकि एक अन्य आरोपी जमील चिश्ती ने अदालत से जमानत ले ली थी।

पुलिस ने इस गिरोह के सरगना नफीस चिश्ती को बुर्का पहनकर बस में फरार होते हुए दिल्ली के धौला कुआं से पकड़ा था। इसके बाद मुंबई निवासी इकबाल भाटी को भी गिरफ्तार किया गया। 19 वर्ष फरार रहने के बाद एक आरोपी सोहेल गनी ने अदालत में सरेंडर कर दिया था। 1998 में निचली अदालत ने इस मामले के आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इनमें से चार को बरी कर दिया। यह मामला तब उजागर हुआ जब आरोपियों ने रील बनाने के लिए छात्राओं की नग्न तस्वीरें एक लैब को दी थी। पीड़ित छात्राओं की नग्न तस्वीरें बाजार में भी प्रसारित की गई। इससे परेशान होकर अनेक छात्राओं ने आत्महत्या कर ली।

बताया जाता है कि प्रशासन ने शुरू में इस मामले को दबाने का प्रयास किया था। जब विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया और राजस्थान के अनेक स्थानों पर बंद का आयोजन किया गया तो जनता के दबाव के कारण सरकार और पुलिस विभाग को हरकत में आना पड़ा।

पृष्ठभूमि : बताया जाता है आरोपी नगर के प्रभावशाली परिवारों से थे, इसलिए प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोता रहा। रिपोर्ट के अुनसार एक आरोपी फारूक चिश्ती ने सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी अश्लील तस्वीरें ले ली। बाद में इस छात्रा को ब्लैकमेल करके अजमेर के प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इस कुख्यात सेक्स कांड की जांच के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के निर्देश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। इस अदालत ने मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती को 2007 में सजा सुनाई थी, लेकिन सजा की अवधि पूरी होने के बाद उच्च न्यायालय ने 2013 में उसे रिहा कर दिया था।

इस सेक्स कांड का पर्दाफाश स्थानीय अखबार 'नवज्योति ने किया था, लेकिन प्रशासन ने इस मामले को दबा दिया। कुछ दिनों बाद इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार प्रकाशित किया, जिसमें अजमेर में छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सकता था। इस समाचार का शीर्षक था, "बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार।" जनाक्रोश को देखते हुए राजस्थान के गुप्तचर विभाग ने इस कांड की जानकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत को दी। इस मामले की जांच के लिए उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने और पुलिस विभाग को किसी भी आरोपी को न बख्शने के कड़े आदेश दिए। खास बात यह है कि गुप्तचर विभाग ने इस शर्मनाक कांड की सूचना खुलासे के पांच महीने पहले ही प्रशासन को दे दी थी।

दैनिक नवज्योति

छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गये?

विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बजरंग दल जैसे अनेक संगठनों ने राज्यव्यापी प्रदर्शनों और धरनों का आयोजन किया। बढ़ते हुए जनाक्रोश को देखते हुए अजमेर के वकील भी हरकत में आए और उनके एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता और पुलिस अधीक्षक एमएन धवन से मुलाकात की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जिन आरोपियों की पहचान हो चुकी है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत फौरन जेल में डाला जाए ताकि जनता का गुस्सा शांत हो और माहौल सांप्रदायिक न बने। आखिरकार 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने यह मामला सीआईडी के हवाले कर दिया और शीघ्र जांच करने का आदेश दिया। अनुसंधान अधिकारी हरि प्रसाद शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि "अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो खींचे गए। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ बलात्कार किया गया। इसके साथ ही गिरोह द्वारा इन लड़कियों पर यह दबाव बनाया गया कि वे अन्य लड़कियों को भी अपने साथ लेकर आएं।"

अजमेर जिला पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज किए जाने के तुरंत बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एनके पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए और उन्होंने जांच शुरू कर दी। इस जांच के बाद युवा कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी आदि पकड़े गए। हाल ही में इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है, जिसका शीर्षक है, 'अजमेर 92'। इस फिल्म के रिलीज होने का अनेक मुस्लिम संगठनों और अजमेर दरगाह के खादिम परिवारों ने विरोध किया था। उन्होंने इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

असम में निकाह और तलाक का पंजीकरण अब सरकार करेगी

रोजनामा सहारा (30 अगस्त) के अनुसार असम की हिमंत बिस्व सरमा सरकार ने विधानसभा में एक कानून पास किया है। इस कानून में निकाह और तलाक का पंजीकरण काजी द्वारा करने के अधिकार को रद्द कर दिया गया है। अब राज्य के मुसलमानों की शादी और तलाक का पंजीकरण सरकार करेगी। इसके साथ ही नाबालिगों की शादी को भी अवैध करार दिया गया है। बता दें कि राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने 22 अगस्त को विधानसभा में असम

निरसन विधेयक, 2024 पेश किया था। इस विधेयक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द करने का प्रावधान है। पुराने कानून में इस्लामी शरिया के अनुसार निकाह और तलाक का पंजीकरण करने की जिम्मेवारी काजी की थी। इस कानून में शरिया के तहत नाबालिगों की शादी करने की भी अनुमति प्राप्त थी। शरिया में लड़कियों की शादी की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।

नए कानून के अनुसार नाबालिग बच्चों के विवाह का पंजीकरण गैरकानूनी होगा। नए कानून में लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की शादी की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में कहा कि काजी द्वारा किए गए पुराने निकाह और तलाक मान्य होंगे, लेकिन अब निकाह और तलाक का नया पंजीकरण राज्य सरकार द्वारा जिलों में नियुक्त पंजीकरण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लामी रस्मो-रिवाज के अनुसार होने वाले निकाहों पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं रखती। बच्चों की शादी पर जो पाबंदी लगाई गई है, वह भारतीय कानून के अनुसार है।

जोगेन मोहन ने कहा कि इससे बहुविवाह पर लगाम लगेगा और विवाहित महिलाओं को अपनी देखभाल करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त पति की मृत्यु के बाद उनकी विधवाओं के लिए उत्तराधिकार प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से शादी के बाद पुरुषों की अपनी पत्नियों को छोड़ देने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। विधानसभा में विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभावपूर्ण और शरिया में हस्तक्षेप है। इसका एकमात्र उद्देश्य वोटों का ध्रुवीकरण करना है। एआईयूडीएफ के विधायक रफीकुल इस्लाम ने इस कानून को इस्लाम और शरिया में हस्तक्षेप करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम न्यायालय में इस कानून का विरोध करेंगे।

रोजनामा सहारा (31 अगस्त) के अनुसार असम सरकार ने शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा के कर्मचारियों को दो घंटे की छुट्टी देने की पुरानी व्यवस्था को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि कर्मचारियों को यह सुविधा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला ने दी थी। इस फैसले का असम के कई मंत्रियों ने स्वागत किया है और इसे असम में सच्चा सेक्युलरिज्म स्थापित करने की ओर एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया है।

सहाफत (28 अगस्त) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विधानसभा में एक विवादित बयान देकर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा है कि वे मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। उन्होंने दावा किया कि मैं अपने इस बयान पर कायम हूं। विपक्ष को जो ठीक लगे वह कर ले। मुख्यमंत्री नागांव जिले में एक 14 वर्षीय लड़की के बलात्कार के मामले पर विधानसभा में बोल रहे थे। उन्होंने मुसलमानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रण में रखा

जाता तो अपराधों में वृद्धि नहीं होती। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि उनके राज्य में मुसलमानों की आबादी हर दस साल में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ रही है और वे असम में 2041 तक बहुसंख्यक हो जाएंगे। यह एक कड़वी सच्चाई है।

तासीर (31 अगस्त) के अनुसार अनेक मुस्लिम संगठनों ने काजियों द्वारा निकाह और तलाक का पंजीकरण करने पर सरकारी प्रतिबंध की आलोचना की है। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा आदि संगठनों ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी घोषणा की है।

औरंगाबाद टाइम्स (30 अगस्त) के अनुसार असम के 18 विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ राज्य में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज करवाया है। गुवाहाटी के पुलिस उपायुक्त ने यह पुष्टि की है कि दिसपुर पुलिस थाने में विपक्ष की एक शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है।

इंकलाब (1 सितंबर) ने अपने संपादकीय में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान की आलोचना की है और कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य की सभी समस्याओं को छोड़कर सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी पर डटे हुए हैं। हमें कष्ट इसलिए होता है कि वे एक उच्च पद पर आसीन हैं। उन्हें अपने राज्य के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम दुश्मनी का ठेका ले रखा है। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री पहले कई सालों तक कांग्रेस में कई जिम्मेवार पदों पर भी रहे, लेकिन भाजपा की गंगोत्री में डुबकी लगाने के बाद वे अब पूरी तरह से बदल गए हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुस्लिम दुश्मनी का सहारा लेकर भाजपा में तीसरे शीर्ष नेता का स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। अभी तक नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के बाद तीसरा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहा है। अब योगी का स्थान लेने के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा मुस्लिम दुश्मनी का सहारा ले रहे हैं। सरमा को यह डर है कि भाजपा हाईकमान राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले उन्हें उनके पद से न हटा दे, इसलिए वे मुस्लिम दुश्मनी का सहारा लेकर अपनी गद्दी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

हिंदुस्तान (25 अगस्त) ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री इन दिनों मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने और मुसलमानों को संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों को छीनने का खेल बड़ी बेबाकी से खेल रहे हैं। सरमा हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर ब्वॉय की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं ताकि वे बड़े मियां यानी प्रधानमंत्री मोदी की नजर में चढ़ सकें। यही कारण है कि मुसलमानों के उत्पीड़न हेतु योगी और सरमा में होड़ लगी हुई है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि संविधान में अल्पसंख्यकों को अपनी आस्था के अनुसार जीवन गुजारने की जो आजादी दी गई है, सरमा उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब असम सरकार ने यह फैसला किया है

कि मुस्लिम शादी का पंजीकरण काजी नहीं, बल्कि भगवा सरकार करेगी। यह किसी भी देश के लिए बेहद खतरनाक है। हिमंत बिस्वा सरमा हिटलर के रूप में उभर रहे हैं।

हमारा समाज (30 अगस्त) ने मुस्लिम निकाह पंजीकरण विधेयक का विरोध किया है और उसे मुसलमानों के शरिया में हस्तक्षेप करार दिया है। 1935 के कानून में मुसलमानों के निकाह और तलाक आदि मामलों पर निर्णय करने का अधिकार काजियों को दिया गया था और राज्यभर में 95 काजियों को रजिस्ट्रार का दर्जा दिया गया था, लेकिन सरकार ने अब इस कानून को रद्द कर दिया है। क्या यह मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है? क्या हिमंत के इस कदम से प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' नारे की कलई नहीं खुल गई है?

सियासत (31 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि असम के मुख्यमंत्री खुलेआम मुस्लिम विरोधी अभियान चला रहे हैं। असम सरकार ने एक नया कानून लाकर काजियों द्वारा मुस्लिम निकाह और तलाक का पंजीकरण करने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा अभी तक देश के किसी भी राज्य में नहीं किया गया है। क्या यह संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का खुला हनन नहीं है? समाचारपत्र ने इस बात की आलोचना की है कि असम सरकार ने विधानसभा के कर्मचारियों को जुमे की नमाज के लिए दो घंटे की छुट्टी देने की परंपरा को भी खत्म कर दिया है। हालांकि, यह आदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने दिया है, लेकिन इसके पीछे निश्चित रूप से सरकार का हाथ है। समाचारपत्र ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे मुस्लिम दुश्मनी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एकजुट हों।

एतेमाद (31 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि असम में 34 प्रतिशत मुसलमान हैं। असम सरकार ने मुसलमानों के निकाह और तलाक से संबंधित जो कानून पारित किया है उसका लक्ष्य मुसलमानों को संविधान में दिए गए अधिकारों को मटियामेट करना है। हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने कहा था कि वह निकाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के लिए उत्तराखंड सरकार की तरह समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। क्या यह मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है? उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री प्रारंभ से ही मुसलमानों को अपना निशाना बना रहे हैं। वे इस्लामी मदरसों के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुके हैं। 2022 में उनकी एक सांप्रदायिक टिप्पणी के मामले में अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी कह दिया था कि उन्हें अगले दस सालों तक मियां मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं होगी। वे असम में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का अभियान चला रहे हैं। सरमा राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (31 अगस्त) ने अपने संपादकीय में प्रसन्नता व्यक्त की है कि असम के 18 विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सरमा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर राज्य को सांप्रदायिक दंगों की ओर

धकेल रहे हैं। इन विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। खास बात यह है कि मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए सरकार के इशारे पर विधानसभा कैंटीन में सुअर का मांस भी परोसा जा रहा है। हाल ही में मुसलमानों द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय को भी बंद करने का अभियान तेज कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान पर निशाना

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया था। उनके इस बयान पर उर्दू मीडिया में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है।

उर्दू टाइम्स (16 अगस्त) के अनुसार कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की यह कहकर तौहीन की है कि आजादी के बाद से देश में सांप्रदायिक सिविल कोड लागू है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि अंबेडकर हिंदू पर्सनल लॉ में सुधार के प्रबल समर्थक थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर धार्मिक द्वेष रखने का आरोप लगाया। रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान की चर्चा करते हुए कहा कि यह विपक्ष को विभाजित करने का प्रयास है। मोदी के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के एक अन्य नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि संविधान सबसे ऊपर है। संविधान जो अनुमति देगा वही होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि यह भाजपा की नहीं, बल्कि एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं।

अखबार-ए-मशरिक (18 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री के सेक्युलर सिविल कोड और कम्युनल सिविल कोड वाले बयान को शरारतपूर्ण बताया है। बोर्ड ने कहा है कि मुसलमान किसी भी कीमत पर शरिया कानून को नहीं छोड़ सकते। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यह मोदी की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान बार-बार यह कह चुके हैं कि उनके पर्सनल लॉ शरीयत पर आधारित हैं, जिन्हें कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता।

इंकलाब (18 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता को सेक्युलर सिविल कोड इसलिए कहा है ताकि

विपक्ष को इस मुद्दे पर मुश्किल में डाला जा सके और वे इसका विरोध न कर पाएं। हमारी यह राय है कि इस शब्द से भी विपक्ष को ही फायदा होगा और भाजपा की कठिनाईयां बढ़ेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करके सेक्युलरिज्म को मान्यता दे दी है। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में समान नागरिक संहिता का मसला उठाया है। यह सत्तारूढ़ पार्टी का प्रिय विषय है। अब इसे जोर-शोर से उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनसंघ हो या वर्तमान भाजपा अभी वह यह स्पष्ट नहीं कर पाई है कि समान नागरिक संहिता से उसका क्या तात्पर्य है? वे इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहते हैं। वे इस बात का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं कि मुसलमान समान नागरिक संहिता में बाधक हैं और उन्हें कांग्रेस का समर्थन रहता है। सच्चाई यह है कि अगर देश में समान नागरिक संहिता लागू होता है तो उसका ज्यादा प्रभाव गैर-मुसलमानों पर पड़ेगा। भाजपा जितना इस मुद्दे को उछालेगी उतना ही वह स्वयं को जनता से दूर कर लेगी। यह पहला मौका है जब समान नागरिक संहिता को सेक्युलर सिविल कोड का नया नाम दिया गया है। भाजपा की शुरू से ही सेक्युलरिज्म से दुश्मनी रही है। क्या यह भाजपा के हृदय परिवर्तन का नतीजा है कि समान नागरिक संहिता को सेक्युलर सिविल कोड में बदल दिया गया है? अजीब बात है कि प्रधानमंत्री ने संविधान सभा को भी अपना निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 अगस्त) ने अपने संपादकीय में हैरानी प्रकट की है कि प्रधानमंत्री ने न केवल समान नागरिक संहिता को लागू करने की वकालत की है, बल्कि उन्होंने वर्तमान सिविल कोड पर भी सांप्रदायिकता का ठप्पा लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। एक ओर तो प्रधानमंत्री संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने में कभी नहीं चूकते। वहीं, डॉ. अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए सिविल कोड को उन्होंने सांप्रदायिक घोषित कर दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार आचरण करने की आजादी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के इस बयान की हर तरफ से आलोचना की जा रही है।

हिंदुस्तान (22 अगस्त) ने कहा है कि प्रधानमंत्री के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान से देश के विभिन्न धर्मों के चिंतकों और विद्वानों में बेचैनी पैदा हो गई है, क्योंकि वे इस बयान को धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ समझते हैं। समान नागरिक संहिता के समर्थकों का दावा है कि यह कानून न्याय व समता को प्रोत्साहन देगा और कानूनी जटिलताओं को दूर करेगा। उनका यह भी तर्क है कि इस कानून के जरिए महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण सही ढंग से हो पाएगा। वहीं, इसके विरोधियों का कहना है कि यह कानून भारतीय संविधान में विभिन्न संप्रदायों को दी गई आजादी और उनके परंपराओं के खिलाफ होगा।

मुसलमान समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आजादी पर हमला मानते हैं। उनका कहना है कि शरिया कानून उनके धर्म का हिस्सा है और उनकी पहचान को बरकरार रखने के लिए यह जरूरी है। वे किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को स्वीकार नहीं करेंगे। समाचारपत्र ने सुझाव दिया है कि सरकार की मनमानी को रोकने के लिए समाज के अन्य धर्मों के लोगों का भी सहयोग लिया जाए और इसके खिलाफ देशभर में जनांदोलन शुरू किया जाए।

एतेमाद (18 अगस्त) में प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान को एक राजनीतिक शोशा करार दिया गया है। अजीब बात है कि प्रधानमंत्री ने वर्तमान सिविल कोड को सांप्रदायिक करार देते हुए यह घोषणा की है कि अब समय आ गया है कि इस देश में सेक्युलर सिविल कोड लागू किया जाए। हम कम्युनल सिविल कोड को 75 सालों से अपनाए हुए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की ओर कदम बढ़ाना होगा। विपक्ष ने उनके इस बयान को संविधान निर्माता डॉ. अंबेडकर की तौहीन बताते हुए उनसे माफी की मांग की है। लेखक ने कहा है कि सच पूछिए तो हमें प्रधानमंत्री के इस बयान से बहुत खुशी हुई है। हम उन लोगों में शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री के जुबान से सेक्युलर शब्द सुनने के लिए तरस गए थे। वे जब भी बोलते हैं सेक्युलरिज्म के विरोध में ही बोलते हैं। भाजपा शुरू से ही तीन एजेंडों को अपना लक्ष्य बनाए हुए है। पहला, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और दूसरा, जम्मू-कश्मीर से संविधान की धारा 370 को समाप्त करना। इन दोनों लक्ष्यों को पूरा किया जा चुका है। ऐसे में अब वह समान नागरिक संहिता को लागू करने का राग अलापने लगी है ताकि इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदला जा सके। सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की चर्चा सिर्फ इसलिए करती है ताकि मुसलमानों को उत्तेजित किया जा सके। उसका असली निशाना मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसे वह हर कीमत पर खत्म करना चाहती है।

अखबार-ए-मशरिक (25 अगस्त) ने प्रधानमंत्री द्वारा सेक्युलर सिविल कोड या समान नागरिक संहिता की वकालत की आलोचना की है और कहा है कि भाजपा जानबूझकर इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करना चाहती है। भाजपा शाषित राज्यों में मांस के कारोबार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हमारे वर्तमान शासक सेक्युलर सिविल कोड की आड़ में यह चाहते हैं कि दूसरे धर्मों के लोग भी शादी-विवाह के मामले में वही रस्मो-रिवाज अपनाएं, जो मुल्क के बहुसंख्यक समाज के हैं। हालांकि, उनका यह जुनून संविधान द्वारा जनता को दी गई धार्मिक आजादी के सरासर खिलाफ है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (23 अगस्त) ने प्रधानमंत्री के सेक्युलर सिविल कोड वाले बयान का विरोध किया है और कहा है कि आजादी से पहले 1937 में मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लिकेशन एक्ट बना था। इसके बाद 1939 में मुसलमानों के लिए निकाह का विशेष कानून बना। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना और इसमें सिखों, जैनियों और बौद्धों को जबरन शामिल कर लिया गया। हालांकि, इस देश में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और आनंद कारज मैरिज एक्ट मौजूद है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों को मटियामेट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों को इसका विरोध करना चाहिए।

मध्य प्रदेश के मदरसों में फर्जी नामांकन की जांच का आदेश

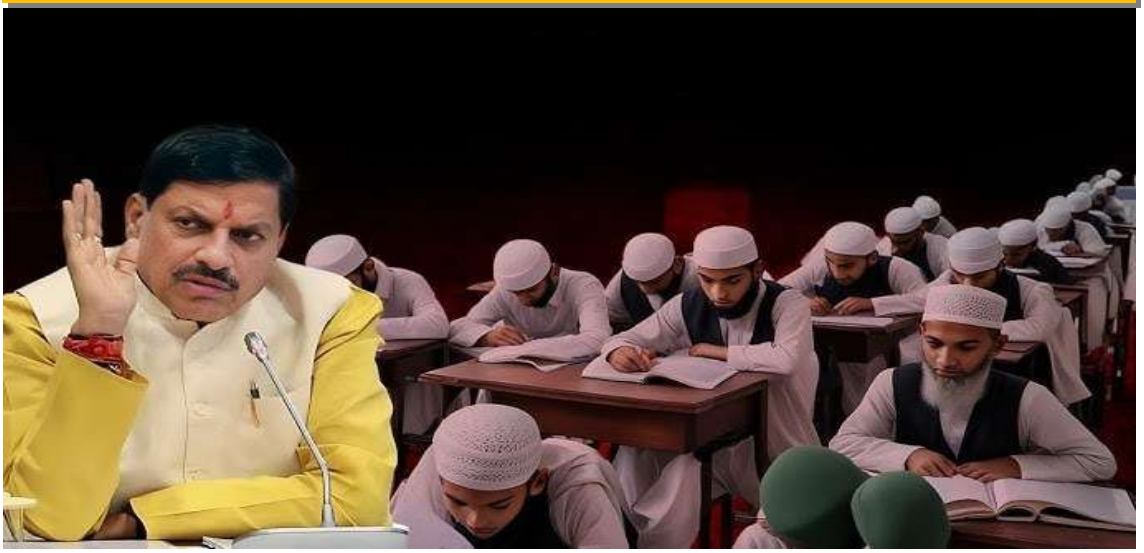

सियासत (18 अगस्त) के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि सरकारी अनुदान लेने हेतु राज्य के इस्लामी मदरसों में जबर्दस्त फर्जीवाड़ा हो रहा है। राज्य सरकार ने इस फर्जीवाड़े की जांच करवाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर कहा है कि उसे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए कई गैर-मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी तरीके से मदरसों में दर्ज किए गए हैं। जबकि ये छात्र इन मदरसों में पढ़ाई नहीं करते हैं। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले मदरसों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या की पुष्टि की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों के अभिभावकों की रजामंदी के बिना उन्हें किसी तरह की धार्मिक शिक्षा न दी जाए।

सरकार ने कहा है कि अगर मदरसों में बच्चों के नाम धोखे से दर्ज किए गए हैं तो मदरसों को दिया जाने वाला अनुदान रोक दिया जाएगा और उनकी मान्यता रद्द करने के साथ-साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने संविधान की धारा 28 (3) का उल्लेख करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्तपोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में बच्चों के भाग लेने या संस्थान के परिसर में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में बच्चों के अभिभावक की सहमति के बिना शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के फर्जी पहचान पत्र का सहारा लिया जा रहा है और बच्चों को मदरसों का छात्र बताकर सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु फर्जीवाड़ा चल रहा है। भिंड और मुरैना जिलों में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में मुस्लिम आबादी काफी कम है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मदरसे हैं। मदरसों के प्रबंधकों का दावा है कि इन मदरसों में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। कहा जाता है कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए मदरसों के प्रबंधक जिन हिंदू बच्चों को अपने मदरसे का छात्र बताते हैं, उनमें से अधिकांश छात्र प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वे मदरसों में

कभी गए ही नहीं। बच्चों के अभिभावकों को भी यह जानकारी नहीं है कि उनके बच्चों के नाम मदरसों के छात्र के रूप में दर्ज हैं। मुरैना में 70 और भिंड में 67 मदरसे हैं। इनके प्रबंधकों का दावा है कि इनमें 3880 हिंदू बच्चे पढ़ते हैं। जबकि राज्य के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले बुरहानपुर जिले में केवल 23 मदरसे हैं।

एनसीपीसीआर में की गई शिकायतों के अनुसार मदरसों में छात्रों का नामांकन का यह फर्जीवाड़ा खाद्य और मिड डे मिल के पैसे हड़पने के लिए किया जा रहा है। 100 बच्चों वाले हर मदरसे को हर महीने 50 हजार रुपया सरकारी अनुदान मिलता है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का कहना है कि प्रदेश के मदरसों में 9400 हिंदू छात्रों के नाम दर्ज हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए राज्य सरकार ने इसकी उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया है ताकि मदरसों के दोषी प्रबंधकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।

मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जबर्दस्त फूट

मुंबई उर्दू न्यूज (20 अगस्त) के अनुसार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) में जबर्दस्त मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। पार्टी के कार्यालय में जबरदस्त हंगामा हुआ और दोनों गुटों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दरअसल, हाल ही में मुंबई एआईएमआईएम के अध्यक्ष फैयाज अहमद खान को उनके पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह रईस लश्करिया को मुंबई एआईएमआईएम का अध्यक्ष बनाया गया है। जब इसकी सूचना फैयाज अहमद के समर्थकों को मिली तो उन्होंने पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जबर्दस्त हंगामा किया और महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील के साथ मारपीट की।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पूर्व मुंबई अध्यक्ष ने एआईएमआईएम को भाजपा और एकनाथ शिंद की बी टीम करार दिया है। महाराष्ट्र एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने कहा कि फैयाज अहमद को कैसे पता चला कि हम भाजपा की बी टीम हैं? हमने फैयाज की पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए उन्हें पार्टी के मुंबई अध्यक्ष पद से हटा दिया है, इसलिए उन्होंने हमें किसी दूसरी पार्टी की बी टीम कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आपको दूसरों के लिए जगह बनानी होगी और उन्हें चुनाव लड़वाना होगा। अब मुंबई का पार्टी अध्यक्ष कौन होगा इसका फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे। अगर पार्टी में अनुशासन नहीं रखा गया तो इससे महाराष्ट्र के मुस्लिम नेतृत्व को नुकसान होगा।

मुंबई उर्दू न्यूज से बातचीत करते हुए फैयाज अहमद ने अपनी बातों को दोहराया है। जबकि इम्तियाज जलील ने कहा कि जो भी फैसला हुआ है वह फैयाज अहमद की सहमति से हुआ है। वे जानबूझकर इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रेस कांफ्रेंस रामगिरी महाराज द्वारा नासिक में दिए गए सांप्रदायिक बयानों के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए बुलाया गया था। जलील ने कहा कि हम यह विचार कर रहे हैं कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़े या नहीं। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाडी के साथ पार्टी के संबंधों पर भी विचार किया जा रहा है ताकि भाजपा को सत्ता में वापस आने से रोका जा सके।

इसी समाचारपत्र ने अपने संपादकीय में कहा है कि राज्य में चुनाव से पूर्व एआईएमआईएम में पैदा हुए मतभेद ने राज्य के मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। पिछले कुछ सालों में ओवैसी के प्रयासों से एआईएमआईएम का महाराष्ट्र के मुस्लिम मतदाताओं पर प्रभाव बढ़ा है, लेकिन हाल की घटनाओं से पार्टी की छवि को भारी नुकसान होगा। फैयाज अहमद के समर्थकों ने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। इससे पार्टी के भीतर मतभेदों को और हवा मिलेगी। इस समय एआईएमआईएम के पास मुंबई विधानसभा में दो सीटें हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाती है। इससे यह साफ होता है कि पार्टी मुसलमानों में तेलंगाना से बाहर भी अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रही है। इस घटनाक्रम से राज्य के मुस्लिम मतदाताओं में हताशा पैदा होगी और मुसलमानों में पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव पर बुरा असर पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से पार्टी मुसलमानों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश कर रही है। पार्टी द्वारा मुसलमानों की समस्याओं को उठाया जा रहा है और मुसलमानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आवाज उठाई जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख अंग रहा है। इन मतभेदों से एआईएमआईएम विरोधी अन्य पार्टियों को फायदा हो सकता है। खास तौर पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवेसना मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर सकती है। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को महाराष्ट्र में एक मजबूत गठबंधन माना जाता है। इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी को यह प्रयास करना होगा कि पार्टी के आंतरिक मतभेदों को फौरन दूर किया जाए ताकि पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को बरकरार रखा जा सके।

विश्व

बीएलए द्वारा 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या

विदेशी संवाद समितियों के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने लगभग 130 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। जबकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इन हमलों में उसके 14 सैनिक मारे गए हैं। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार बीएलए ने 'ऑपरेशन हेरोफ' के तहत बलूचिस्तान के 12 स्थानों पर हमले किए। इस दौरान बीएलए के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सैनिकों के कई कैंपों और पुलिस चौकियों को अपना निशाना बनाया। बीएलए ने दावा किया है कि हमारा लक्ष्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवाना है और इस अभियान को इसी सिलसिले में शुरू किया गया है। उसने यह भी दावा किया कि इस अभियान में बीएलए के 800 लड़ाकों ने हिस्सा लिया। बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलोच ने कहा कि यह पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ हमारे सशस्त्र अभियान की शुरुआत है। उन्होंने दावा किया कि बीएलए के 'मजीद ब्रिगेड' (आत्मघाती दस्ते) ने बलूचिस्तान के बेला सैन्य शिविर को 20 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और 68 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पुलिस के लोग हमारे भाई हैं, इसलिए हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

एतेमाद (27 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने यह स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि इन हमलों में 14 पाकिस्तानी सैनिक और 21 आतंकवादी मारे गए हैं।

सहाफत (30 अगस्त) के अनुसार बलूच विद्रोहियों के उन्मूलन में विफल रहने के कारण बलूचिस्तान के पुलिस महानिरीक्षक अब्दुल खालिक शेख को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर मोअज्जम जाह अंसारी को नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है।

तासीर (25 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों को कुचलने के लिए सैन्य ऑपरेशन चलाने हेतु 60 अरब रुपये की विशेष धनराशि को मंजूरी दी

है। इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार बीएलए ने चीनी कंपनियों और चीनी परियोजनाओं को चुन-चुनकर अपना निशाना बनाया है। नसीराबाद में बलूच विद्रोहियों ने पावर प्लांट को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को तबाह कर दिया है। इस हमले की जिम्मेवारी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली है। गौरतलब है कि यह परियोजना चीन द्वारा चलाई जा रही है। यूनाइटेड बलूच आर्मी के प्रवक्ता मिर्जा बलोच ने कहा कि उनके संगठन के लड़ाकुओं ने एक वाहन पर हमला करके पांच चीनी विशेषज्ञों की हत्या कर दी है।

उर्दू टाइम्स (27 अगस्त) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला मुसाखेल के राराशम क्षेत्र में सशस्त्र हमलावरों ने पंजाबी यात्रियों की पहचान करके उन्हें ट्रकों और बसों से उतारा। इसके बाद उन्होंने 23 पंजाबी यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसे खौफनाक आतंकी घटना बताया है। उन्होंने कहा कि हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने भी इस हमले की निंदा की है।

अवधनामा (24 अगस्त) के अनुसार सशस्त्र हमलावरों ने पुलिस के एक काफिले पर हमला किया। यह घटना पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले की है। पंजाब पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सशस्त्र हमलावरों ने कम-से-कम 11 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है। इस हमले में नौ लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने सेना को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी इस हमले की निंदा की है और कहा है कि पुलिस और सेना पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के पुलिस महानिदेशक डॉ. उस्मान अनवर ने बताया कि हमलावरों ने पुलिस के वाहनों पर रॉकेटों से हमले किए थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

अवधनामा (25 अगस्त) के अनुसार बलूचिस्तान के जिला पिशीन में हुए एक बम धमाके में कम-से-कम तीन लोग मारे गए और 13 घायल हो गए। इस क्षेत्र के एसएचओ मुजीबुर रहमान ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है।

उर्दू टाइम्स (28 अगस्त) के अनुसार यूरोपीय यूनियन ने बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमलों की निंदा की है और कहा है कि ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। जबकि चीन ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान सरकार को सहयोग देने की घोषणा की है।

पाकिस्तानी अखबार **द न्यूज इंटरनेशनल** (16 अगस्त) के अनुसार क्वेटा के लियाकत बाजार में बीएलए ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज बेचने वाले दुकानदारों पर बमों से हमला किया, जिसमें तीन दुकानदार मारे गए और छह घायल हो गए। समाचारपत्र के अनुसार बीएलए ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है। इस संगठन ने कहा है कि

हमने बलूचिस्तान के दुकानदारों को यह चेतावनी दी थी कि वे पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वजों की बिक्री न करें। उन्होंने हमारा निर्देश नहीं माना, इसलिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। गौरतलब है कि बीएलए ने बलूचिस्तान के नागरिकों को यह निर्देश दिया था कि वे पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करें और उससे संबंधित किसी भी समारोह में भाग न लें।

क्या है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी?

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) 1970 के दशक में अस्तित्व में आया। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। गौरतलब है कि बलूचिस्तानी जनता पाकिस्तान के गठन के बाद से ही पंजाबियों के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है। बीएलए का दावा है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर उनके प्राकृतिक खनिज संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टों ने आरोप लगाया था कि बीएलए के गठन के पीछे विदेशी हाथ है। बीएलए पिछले चार वर्षों से लगातार पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान में स्थित चीनी नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है।

बांग्लादेश में जमात–ए–इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा

अवधनामा (29 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की एक प्रमुख कट्टरवादी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी और उससे संबंधित संगठनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत

जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था। उनकी सरकार ने यह दावा किया था कि बांग्लादेश में होने वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जमात-ए-इस्लामी का हाथ है। जबकि वर्तमान सरकार ने यह दावा किया है कि जांच में जमात-ए-इस्लामी का आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का कोई सबूत नहीं मिला है। बता दें कि जमात-ए-इस्लामी को कट्टरवादी इस्लामी संगठन और पाकिस्तान समर्थक माना जाता है।

समाचारपत्रों के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आदेश पर जमात-ए-इस्लामी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया था। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ देने के आरोप में इस संगठन के अनेक नेताओं पर मुकदमे चलाए गए थे और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 2013 में जमात-ए-इस्लामी के देश के चुनावों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। इस इस्लामी पार्टी का दावा है कि वह बांग्लादेश की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय संप्रभुता और इस्लामी मूल्यों की रक्षा करने में विश्वास रखती है। वह यह चाहती है कि बांग्लादेश में शरिया कानूनों को लागू किया जाए और इस देश को सेक्युलर के बजाय इस्लामी कल्याणकारी राज्य में बदला जाए।

जमात-ए-इस्लामी का दावा है कि वह बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस संगठन की स्थापना इस्लाम के विख्यात चिंतक मौलाना अबुल आला मौदूदी ने 1941 में लाहौर में की थी। उन्होंने इस संगठन की स्थापना करते समय यह घोषणा की थी कि जमात-ए-इस्लामी भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी मूल्यों को प्रोत्साहन देगा और इस उपमहाद्वीप में एकीकृत इस्लामी राज्य की स्थापना करेगा। भारत के विभाजन के बाद जमात-ए-इस्लामी दो गुटों में विभाजित हो गया। इनमें से एक गुट को जमात-ए-इस्लामी हिंद का नाम दिया गया और उसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया। जबकि दूसरे गुट का नाम जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान रखा गया, जिसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। बाद में 1971 में पाकिस्तान के विभाजन के बाद जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान में भी विभाजन हो गया और एक नया गुट जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश बना, जिसका मुख्यालय ढाका में स्थापित किया गया।

इससे पहले पाकिस्तान में उर्दू को बंगालियों पर थोपने के खिलाफ जन आंदोलन भड़क उठा था। 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को नेशनल असेंबली में बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तानी सेना और वहां के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के आदेश पर मुजीबुर रहमान को

जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से रोक दिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर नरसंहार और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार शुरू कर दिया। इस घटना के खिलाफ बांग्लाभाषियों की मुक्ति बाहिनी ने विद्रोह कर दिया और भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। अंततः पाकिस्तान को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और उसके 93 हजार सैनिकों को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के बाद विश्व के दबाव पर शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार संभाल लिया।

बांग्लादेश की अवामी लीग सरकार का यह आरोप था कि मुक्ति संग्राम के दौरान जमात-ए-इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम को कुचलने के लिए दो सशस्त्र अतिवादी संगठनों अल-शम्स और अल-बद्र का गठन किया था, जिनमें जमात के छात्र विंग से जुड़े लोगों को भर्ती किया गया था। इन संगठनों ने अल्पसंख्यकों और बंगाली मुसलमानों का सामूहिक नरसंहार किया। इन संगठनों के रजाकारों ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मुक्ति बाहिनी के खिलाफ काम किया। सरकारी दावे के अनुसार बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नौ महीने की अवधि में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए और दो लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। एक करोड़ लोगों (जिनमें अधिकांश अल्पसंख्यक हिंदू थे) को बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी।

सत्ता में आने के बाद मुजीब सरकार ने देश में सभी धार्मिक संगठनों के राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1975 में पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश की सेना ने मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद 1996 तक बांग्लादेश में सैनिक तानाशाही रही। खालिदा जिया के शासनकाल में जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया। 2008 में शेख हसीना ने सत्ता में आने के बाद जमात-ए-इस्लामी और प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को कुचलने के लिए अनेक कानून बनाए। फरवरी 2013 में अल-बद्र के एक नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को 1971 के मुक्ति संग्राम में 344 अल्पसंख्यकों की सामूहिक हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में फांसी में बदल दिया गया। इस तरह जमात-ए-इस्लामी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को युद्ध अपराध के आरोप में विभिन्न तरह की सजाएं दी गईं।

उर्दू टाइम्स (24 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना सहित उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों और अनेक प्रमुख लोगों के राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर

दिए हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके सलाहकार और भंग राष्ट्रीय असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के कारण राजनयिक पासपोर्ट के हकदार थे। अब जब उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है तो ऐसे में उनके राजनयिक पासपोर्ट को भी रद्द करना जरूरी था। समाचारपत्र के अनुसार हसीना सरकार के खिलाफ देश में हुए व्यापक उग्र प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना ने 500 से अधिक लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक टीम बांग्लादेश पहुंच गई है।

एतेमाद (21 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश सरकार द्वारा गठित एक विशेष ट्रिब्यूनल देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपराधों की जांच करेगा। इस ट्रिब्यूनल के जांच प्रकोष्ठ के प्रमुख अताउर रहमान ने कहा कि हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान लगभग 500 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ सामूहिक हत्या के तीन मुकदमे जनता ने दायर किए थे। यह ट्रिब्यूनल इसकी जांच करेगा। गौरतलब है कि इन दिनों शेख हसीना भारत में रह रही हैं।

हिंदुस्तान (28 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश के छात्र नेताओं ने मांग की है कि शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश लाया जाए और उनके खिलाफ सामूहिक हत्या का मुकदमा चलाया जाए।

तालिबान ने दाढ़ी न रखने पर 281 सुरक्षाकर्मियों को नौकरी से निकाला

कौमी तंजीम (22 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने घोषणा की है कि दाढ़ी न रखने के आरोप में अफगान सुरक्षाबल के 281 सदस्यों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्रालय में योजना और विधान के निदेशक मोहिबुल्लाह मोखलिस ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस्लाम में संगीत पर प्रतिबंध है, इसलिए पुलिस ने देशभर के विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर 21 हजार 328 संगीत वाद्ययंत्रों को नष्ट कर दिया है और बाजार में बिकने वाले चलचित्रों को भी जब्त कर लिया गया है।

उर्दू टाइम्स (22 अगस्त) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के हनन का अध्ययन करने के लिए अपने दो विशेष

प्रतिनिधियों को अफगानिस्तान भेजा था। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उन्हें देश में दाखिल होने से रोक दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि ईसाई लॉबी के दबाव के कारण संयुक्त राष्ट्र जानबूझकर अफगानिस्तान की इस्लामी सरकार के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि इसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

उर्दू टाइम्स (16 अगस्त) के अनुसार यूनेस्को की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद 14 लाख लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। तालिबान सरकार छात्राओं को बहुत ही सीमित संख्या में प्राथमिक स्कूलों में जाने की अनुमति दे रही है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अफगानिस्तान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, जहां पर महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।

कौमी तंजीम (25 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान के न्याय मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर यह घोषणा की है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने देश में एक नए कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत देशभर में इस्लामी शरिया कानूनों को लागू कर दिया गया है। अब प्रत्येक अफगान नागरिक को इस्लामी शरिया में निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा और उन्हें वही लिबास पहनना होगा, जो शरिया में निर्धारित किया गया है। इस कानून के तहत मीडिया को यह निर्देश दिया गया है कि वह कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित न करे, जिससे शरिया कानून और मजहब का अपमान होता हो या जिसमें किसी प्रसिद्ध हस्ती का चित्र शामिल हो। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को इस्लामी शरिया के अनुसार सख्त सजा दी जाएगी।

इंकलाब (29 अगस्त) के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा है कि अफगानिस्तान एक इस्लामी देश है, इसलिए हम इस्लाम द्वारा निर्धारित शरिया कानूनों को हर कीमत पर लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देश इस्लाम और शरिया को निशाना बना रहे हैं उन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे सत्ता के घमंड में है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर शरिया के अनुसार ही प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अतिवादी इस्लामी संगठन का प्रमुख जर्मनी से निष्कासित

रोजनामा सहारा (30 अगस्त) के अनुसार जर्मन सरकार ने प्रतिबंधित इस्लामी अतिवादी संगठन इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग (आईजेडएच) के 57 वर्षीय प्रमुख मोहम्मद हादी मोफत्तेह को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जर्मनी से निष्कासित करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त आईजेडएच के वेबसाइट और उससे संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जर्मन सरकार के अनुसार मोहम्मद हादी मोफत्तेह जर्मनी में ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था और वह

जर्मनी में इस्लामी क्रांति के जरिए इस्लामी खिलाफत स्थापित करना चाहता था। ईरान ने जर्मन सरकार के इस फैसले पर विरोध प्रकट किया है।

अवधनामा (23 अगस्त) के अनुसार जर्मनी की एक अदालत में सरकारी वकील ने आरोप लगाया है कि इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस के लोग स्वीडन की संसद को धमाके से उड़ाने की साजिश रच रहे थे। इस सिलसिले में इस साल के मार्च महीने में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि वे स्वीडन की संसद पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इस साजिश का उद्देश्य पिछले साल स्वीडन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान को जलाने की घटनाओं का जवाब देना था। सरकारी वकील ने कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वे दोनों साल 2023 के उस गुट से संबंधित हैं, जिसका गठन जर्मनी में किया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति अफगान मूल के हैं और वे यूरोपीय देशों के मुसलमानों से आर्थिक सहायता इकट्ठा करके आईएसआईएस के उस मॉड्यूल को उपलब्ध कराते रहे हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय है। इस मॉड्यूल का नाम आईएसआईएस खुरासान चैप्टर बताया जाता है।

सरकारी वकील के अनुसार पकड़े गए लोगों ने स्वीडन की संसद और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और अन्य लोगों को गोलियों से उड़ाने की योजना बनाई थी। यह साजिश आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर के निर्देश पर रची गई थी। सरकारी वकील ने कहा कि उन्होंने इस उद्देश्य से हथियार और गोला बारूद भी खरीदा था, लेकिन जर्मन गुप्तचर विभाग को उनके इरादों की सूचना हमले से पहले ही मिल गई। इसके बाद उन्हें इसी साल के मार्च महीने में जर्मनी के गेरा नगर से गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में बंद हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (26 अगस्त) के अनुसार जर्मनी के सोलिंगन शहर में एक मेले में तीन जर्मन नागरिकों की हत्या करने के आरोप में आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। इसे शरणार्थियों के एक होस्टल से पकड़ा गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिक जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा है कि इससे मुकदमे की जांच बाधित होगी। आईएसआईएस की संवाद समिति 'अमाक' ने इस हमले की जिम्मेवारी ली है और कहा है कि जर्मनी के सोलिंगन शहर में ईसाइयों की प्रार्थना सभा पर चाकुओं से जो हमला किया गया था उसे आईएसआईएस के लड़ाके ने अंजाम दिया था। यह हमला फिलिस्तीन पर यहूदियों के हमले के बदले में किया गया था। जर्मन सरकार ने यह पुष्टि की है कि इन दोनों व्यक्तियों ने ईसाई प्रार्थना सभा में दो पुरुष और एक महिला की हत्या कर दी थी। जबकि आठ अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने मौके पर एक हमलावर को हिरासत में लिया था, जिससे पूछताछ के बाद दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जबकि कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जर्मन सरकार ने हैम्बर्ग नगर स्थित इस्लामिक सेंटर और

उससे संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जर्मनी के गृह मंत्रालय के अनुसार इन संगठनों से इस्लामी आतंकवाद का प्रचार किया जा रहा था, जिससे जर्मनी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। सरकारी प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि इस्लामी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस द्वारा जर्मनी में इस्लामी खिलाफत की स्थापना की साजिश रची जा रही है और इस संदर्भ में हाल ही में जर्मनी के कई नगरों में मुसलमानों ने उग्र प्रदर्शन करके यह मांग की थी कि जर्मनी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस्लामी खिलाफत की हुकूमत कायम की जाए।

कौमी तंजीम (25 अगस्त) के अनुसार रूसी सेना ने चार कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इन कैदियों का संबंध इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस से है। उन्होंने पिछले दिनों रूस के चार गिरजाघरों और एक यहूदी उपासना स्थल पर हमले किए थे। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी। रूसी मीडिया के अनुसार जिन लोगों ने हमले किए थे वे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नागरिक थे। रूस की सरकार ने पुष्टि की है कि रूस की जेल में इस हमले से संबंधित जो आरोपी बंद थे उन्होंने जेल के कर्मचारियों पर हमला करके दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और चार लोगों को घायल कर दिया था। इस पर रूसी सैनिकों को इन हिंसक कैदियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी।

शीर्ष चीनी जनरल निशान–ए–इम्तियाज से सम्मानित

रोजनामा सहारा (28 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ली कियाओमिंग को निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया है। पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के अनुसार इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य मंत्री भी शामिल हुए थे।

गौरतलब है कि इससे पहले ली कियाओमिंग ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर से कई दिनों तक गुप्त बैठकें की थीं। इन बैठकों की पुष्टि पाकिस्तानी सेना के लोक संपर्क विभाग ने भी की है। लोक संपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों के सेना प्रमुखों ने सुरक्षा, गुप्तचर, सैन्य प्रशिक्षण और

हथियारों के निर्माण में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। इस बैठक में यह तय किया गया कि इस क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित मामलों को कारगर बनाने के लिए दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। चीनी जनरल ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि वह किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन सहयोग बढ़ रहा है और यह आपसी भाईचारे का संकेत है।

इख्वानुल मुस्लिमीन द्वारा राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा

इंकलाब (26 अगस्त) के अनुसार मुस्लिम जगत के सबसे खूंखार जिहादी इस्लामी संगठन इख्वानुल मुस्लिमीन (मुस्लिम ब्रदरहुड) के उप प्रमुख डॉ. सलाह अब्दुल हक ने अपने एक संदेश में कहा है कि भविष्य में उनका संगठन किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। इसके साथ ही उन्होंने मिस्र की सरकार से अनुरोध किया है कि उसने इख्वानुल मुस्लिमीन के जिन हजारों समर्थकों को जेलों में बंद कर रखा है उन्हें रिहा कर दिया जाए। इस खबर का खुलासा तुर्किये के प्रमुख यूट्यूब चैनल अल-मशरिक ने किया है। डॉ. हक इन दिनों लंदन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल के पत्रकार माजिद अब्दुल्ला ने कहा है कि इख्वानुल मुस्लिमीन ने यह घोषणा की है कि वह मिस्र सरकार के साथ समझौते के लिए तैयार है और वह अगले 15 सालों तक राजनीति में भाग नहीं लेगा। डॉ. सलाह अब्देल हक ने यह भी कहा है कि 2013 में मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन के शासन की समाप्ति के बाद वहां पर जो घटनाक्रम हुआ है उसे सरकार को भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपनी हरकतों के लिए सरकार और मिस्री जनता से माफी मांगते हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने यह फैसला इस्लाम के हित में लिया है। इसके साथ ही मिस्र की जेलों में बंद 1500 से अधिक इख्वान नेताओं ने मिस्र के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर उनसे माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे।

रोजनामा सहारा (26 अगस्त) के अनुसार इख्वानुल मुस्लिमीन के प्रमुख मोहम्मद बदी ने भी अपने संगठन की हिंसक गतिविधियों के लिए

मिस्र सरकार से माफी मांगी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि मिस्री जेलों में बंद उनके हजारों कार्यकर्ताओं को माफी दी जाए। उन्होंने कहा कि वे मिस्र की सरकार के साथ समझौते के लिए तैयार हैं।

क्या है इख्वानुल मुस्लिमीन?

इख्वानुल मुस्लिमीन मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। इसकी शाखाएं सभी अरब देशों में फैली हुई हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन की स्थापना हसन अल-बन्ना ने 1928 में की थी। इस संगठन का लक्ष्य शरिया और कुरान के आधार पर मुस्लिम समाज को संगठित करना और कट्टरपंथी इस्लामी सरकार को सत्ता में लाना था। इस संगठन ने मिस्र में ब्रिटिश प्रभाव का विरोध किया था और मिस्र के तत्कालीन बादशाह फारूक के खिलाफ सशस्त्र अभियान चलाया था। फारूक पर यह आरोप लगाया गया था कि वे ब्रिटिश कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं और वे इस्लाम का खात्मा करके देश को ईसाइयत और पश्चिमी संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। इस संगठन के हिंसक आंदोलन के कारण 1952 में फारूक को मिस्र छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद सत्ता पर कब्जे को लेकर इख्वानुल मुस्लिमीन और सेना के बीच टक्कर हुई थी। इख्वानुल मुस्लिमीन ने समाजवाद, सेक्युलरिज्म और पैन-अरब आंदोलन का विरोध किया था।

1954 में इख्वान ने मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर की हत्या का प्रयास किया था। इसके बाद नासिर ने इस जिहादी संगठन को कुचलने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ दिया था। इस अभियान के तहत इस संगठन से जुड़े हुए हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके नेता सैयद कुतुब और उनके अनेक सहयोगियों को जेलों में बंद कर दिया गया। सैयद कुतुब को इस्लामी आतंकवादी संगठन अलकायदा और हमास का जनक माना जाता है। 1966 में सैयद कुतुब को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात और इख्वानुल मुस्लिमीन के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इख्वान के नेताओं ने यह घोषणा की कि वे भविष्य में हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। 1981 में इख्वान के एक उप संगठन अल-जिहाद ने सादात की हत्या कर दी। इसके बाद इस संगठन ने राजनीति में खुलकर भाग लेना शुरू कर दिया। 1984 में मिस्र में हुए आम चुनाव में इख्वान ने अपने एक उप संगठन 'वफद पार्टी' का समर्थन किया। वफद पार्टी ने मिस्र की संसद की 450 सीटों में से 65 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अतिरिक्त इस संगठन से जुड़े दर्जनों लोग निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते। इसके बाद मिस्र की राजनीति में इख्वान का प्रभाव बढ़ा और उसने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 2011 में सत्ता से अपदस्थ कर दिया। 2012 में मिस्र में हुए आम चुनाव में इख्वान ने 'फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी' के साथ समझौता किया और संसद की 84 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ ही इख्वान के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति चुने गए। बाद में सेना और इख्वान के बीच मतभेद पैदा हो गए। बाद में इस संगठन के उग्र प्रदर्शनों के कारण मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हाथ धोना

पड़ा। बताया जाता है कि मुर्सी के सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-सिसी के साथ मतभेद पैदा हो गए और अल-सिसी ने संविधान को भंग करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। इख्वान ने इसका विरोध किया और राष्ट्रव्यापी उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेना ने 1200 से अधिक प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। अल-सिसी ने इख्वान पर प्रतिबंध लगा दिया और मुर्सी सहित इस संगठन के हजारों समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुर्सी पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 2019 में जेल में ही उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद इख्वान ने हिंसा का रास्ता अपना लिया। कहा जाता है कि कतर और तुर्किये ने इख्वान का गुप्त रूप से समर्थन किया था और इस संगठन से संबंधित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने-अपने देशों में शरण दी थी। इस संगठन पर 1997 में सैकड़ों पर्यटकों की हत्या करने का भी आरोप है। 2019 में मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी के अमेरिका दौरे के बाद

अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इख्वान के नेताओं का आरोप है कि अल-सिसी अमेरिका के दबाव पर उनके संगठन को कुचलने का अभियान चला रहे हैं और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दिया गया है। हाल ही में तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने मिस्र का दौरा किया था। उनके इस दौरे के बाद तुर्किये की नीति में एक नया मोड़ आया। तुर्किये सरकार ने देश में रह रहे इख्वान के 200 से अधिक नेताओं की नागरिकता रद्द कर दी है।

इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु की रिपोर्ट सार्वजनिक

सहाफत (23 अगस्त) के अनुसार ईरान सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। इस रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण खराब मौसम और हेलीकॉप्टर में अधिक संख्या में लोगों के बैठने को बताया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बहस का खंडन हो गया है कि रईसी की मौत के पीछे किसी गुप्तचर एजेंसी का हाथ था। गौरतलब है कि इस वर्ष के मई महीने में ईरान के पहाड़ी क्षेत्र में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन सहित सात ईरानी उच्चाधिकारियों की मौत हो गई थी। यह जांच

ईरान की सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने की है। रिपोर्ट में इस बात का खंडन किया गया है कि किसी विदेशी एजेंसी ने इस हेलीकॉप्टर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हैकिंग द्वारा जाम कर दिए थे। ईरान की सेना ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि कर दी है।

गौरतलब है कि 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति की अजरबैजान क्षेत्र में उस समय मृत्यु हो गई थी, जब वे एक डेम का उद्घाटन करने के बाद वापस ईरान लौट रहे थे। रईसी को कट्टरपंथी माना जाता था। उन पर यह आरोप था कि जब वे ईरान के मुख्य न्यायाधीश थे तो उन्होंने सैकड़ों ईरानियों को फांसी पर लटका दिया था। उन्हें ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का विश्वस्त माना जाता था। उनके निधन के बाद ईरान में राष्ट्रपति के दो बार चुनाव हुए। पहले चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत मत प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए ईरानी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए देशभर में फिर से मतदान कराना पड़ा। इस चुनाव में मसूद पेजेश्कियान ने जीत दर्ज की और वे ईरान के नए राष्ट्रपति बने।

सऊदी अरब सुरक्षा विभाग का अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

रोजनामा सहारा (17 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब के भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण ने सऊदी सुरक्षा विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्नल साद इब्राहिम अल-यूसेफ को तीन करोड़ रियाल की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण में एक सऊदी व्यापारी के खिलाफ एक मामले की जांच चल रही थी। इब्राहिम अल-यूसेफ ने इस व्यापारी को यह आश्वासन दिया था कि अगर उसे दस करोड़ रियाल की रिश्वत मिलेगी तो वह इस व्यापारी को मुकदमे से बरी करवा देगा। इस अधिकारी के कब्जे से तीन करोड़ रियाल की जो धनराशि बरामद हुई है वह इसी सौदे का एक हिस्सा था।

बताया जाता है कि यह सौदा एक यमनी मूल की महिला अम्ना मोहम्मद अली अब्दुल्ला के सहयोग से हुआ था। इस महिला ने यह दावा किया था कि वह एक उच्च सरकारी पद पर नियुक्त है और उसका संबंध खाड़ी देश के एक राजपरिवार से है। उसने इस संदर्भ में एक फर्जी शाही फरमान भी तैयार करवाया था ताकि रिश्वत देने वाले व्यापारी को आश्वस्त किया जा सके। बताया जाता है कि अम्ना ने कुछ अन्य लोगों से भी आठ करोड़ सऊदी रियाल रिश्वत के रूप में इकट्ठे किए थे। इसके लिए उसने दो लोगों सलीम अतफा और अदेल नज्म अलदीन से सहायता ली थी। इस धनराशि से उसने सऊदी अरब में काफी संपत्ति खरीदी और एक बड़ी धनराशि को गुप्त रूप से विदेश भेजा। इस भ्रष्टाचार गैंग से संबंधित सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी संख्या लगभग एक दर्जन बताई जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण के प्रमुख ने कहा है कि यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केस है। सऊदी अरब के नियमों के अनुसार अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसे कड़ी सजा दी जाती है। प्राधिकरण के प्रमुख ने दावा किया कि युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निर्देश पर देश में भ्रष्टाचार के उन्मूलन का अभियानी जारी रखा जाएगा।

गाजा में युद्धविराम वार्ता विफल

रोजनामा सहारा (27 अगस्त) के अनुसार गाजा में युद्धविराम और इजरायली बंधकों की रिहाई हेतु मिस्र की राजधानी काहिरा में चल रही वार्ता विफल हो गई है। ब्रिटिश संवाद समिति 'रॉयटर्स' के अनुसार हमास और इजरायल दोनों ने ही मध्यस्थों की शर्तों को ठुकरा दिया है। इस वार्ता

के लिए 13 सदस्यीय इजरायली प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचा था। अब यह प्रतिनिधिमंडल वहां से वापस आ गया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और हमास के नेता भी काहिरा से वापस चले गए हैं। हमास और इजरायल एक दूसरे के साथ सीधे वार्ता नहीं कर रहे थे। इस वार्ता में अमेरिका, कतर और मिस्र मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। जर्मन संवाद समिति 'डीपीए' के अनुसार विवाद का एक बड़ा कारण यह था कि इजरायली सैनिक गाजा पट्टी और मिस्र की संयुक्त सीमा पर तैनात हैं। इजरायल को संदेह है कि हमास हथियारों की तस्करी के लिए इस सीमा का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि हमास यह चाहता है कि इजरायली सेना इस सीमा से पूरी तरह से हट जाए।

औरंगाबाद टाइम्स (27 सितंबर) के अनुसार हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली गुप्तचर विभाग के मुख्यालय को अपना निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने यह दावा किया है कि उनके सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की बेरूत में हत्या का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर नागरिक आबादी को अपना निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने दावा किया कि हम अपनी योजना में पूरी तरह से सफल रहे हैं। दूसरी ओर, इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह का यह हमला पूरी तरह से विफल रहा है।

उर्दू टाइम्स (22 अगस्त) के अनुसार ईरान ने कहा है कि हम इजरायल के खिलाफ ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे कि वह अविश्वसनीय होगी और उससे पूरा विश्व कांप जाएगा।

उर्दू टाइम्स (28 अगस्त) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अर्घची ने यह घोषणा की है कि हम हमास प्रमुख इस्माइल हानियेह की मौत का हर कीमत पर बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने यह दावा किया कि हम युद्ध से नहीं डरते और हम इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा तालिबान को मान्यता

रोजनामा सहारा (24 अगस्त) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात विश्व का दूसरा ऐसा देश है, जिसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी है। इससे पहले चीन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है। ब्रिटिश समाचार एजेंसी 'रॉयटर्स' के अनुसार चीन ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। संवाद समिति के अनुसार 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अभी तक उसे किसी भी

देश ने विधिवत मान्यता प्रदान नहीं की है। हालांकि, तालिबान ने पड़ोसी देश पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों में कामकाज चलाने के लिए अपने कर्मचारियों को वहां पर भेज रखा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि मौलवी बदरुद्दीन हक्कानी को संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना परिचय पत्र संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय को सौंप दिया है।

गौरतलब है कि हक्कानी पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात में अफगान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने अफगानिस्तान के राजदूत को मान्यता देने की पुष्टि की है। सरकार का दावा है कि इससे पहले अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात कर चुके हैं। बता दें कि पश्चिमी देशों ने सिराजुद्दीन हक्कानी को आतंकवादी घोषित कर रखा है। हक्कानी की अनेक हमलों में संलिप्तता के कारण वे अमेरिका के वांछित अपराधी हैं। 2022 में संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक संबंध काबुल के साथ स्थापित हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है। अफगान सरकार ने दावा किया है कि पश्चिमी देशों द्वारा उन्हें अलग-थलग रखने का जो प्रयास किया गया था, वह विफल रहा है और संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने उन्हें मान्यता प्रदान कर दी है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

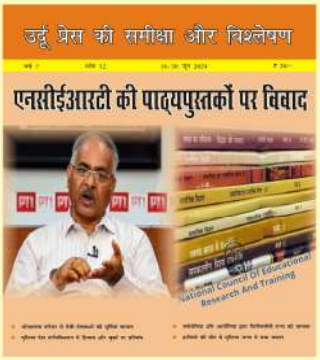

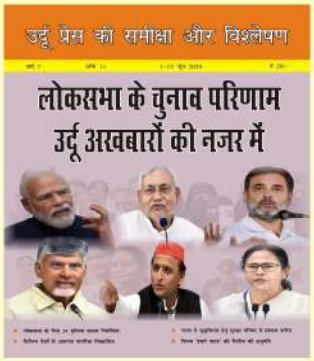

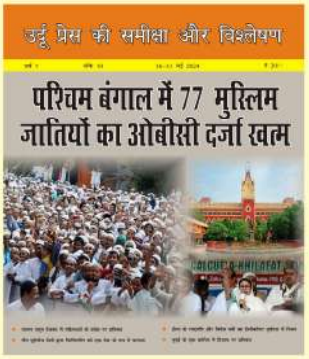

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in